न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–60 / 2019

उनवान –सरकार बनाम महेशचन्द पुत्र जसराम (अमन फूड प्रोडक्ट धौलपुर)
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –14.12.2019

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री आसिमदीन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री महेशचन्द पुत्र जसराम जाति वैश्य निवासी मांगरोल रोड मनिया जिला धौलपुर (विक्रेता एवं मालिक मै0 अमन फूड प्रोडक्ट धौलपुर) के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.10.2018 को अप्रार्थी की दुकान मैसर्स अमन फूड प्रोडक्ट धौलपुर का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में लगभग 12 किलो ग्राम पनीर सजल ब्राण्ड जो आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इसमें मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर उक्त पनीर में से एक किलो ग्राम पनीर वास्ते नमूना जाँच अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त एक किलो ग्राम पनीर नमूना डी–1558 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 20.11.2018 के अनुसार उक्त पनीर सजल ब्राण्ड सबस्टैंडर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढ़कर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैडर्ड एवं मिसब्राण्ड पनीर का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड एवं मिसब्राण्ड पनीर बेचने का दोषी है जो धारा 51 एवं 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री महेशचन्द पुत्र जसराम जाति वैश्य निवासी मांगरोल रोड मनिया जिला धौलपुर (विक्रेता एवं मालिक मै0 अमन फूड प्रोडक्ट धौलपुर) पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के तहत 25,000 / –रुपये (पच्चीस हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)